एमपी ई-सेवा से डिजिटल गवर्नेंस को मिला सशक्त आधार : डॉ. यादव

56 विभागों की 1700 सेवाएँ एक ही पोर्टल पर उपलब्ध, सेवा वितरण प्रणाली हुई अधिक जवाबदेह एवं सुव्यवस्थित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 18 अप्रैल। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 'एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप' के माध्यम से प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त आधार मिला है। इससे नागरिक सेवाएँ अब अधिक सरल, सुगम और सुलभ हुई हैं। डिजिटल तकनीक आज सुशासन की आधारशिला बन चुकी है और प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नई पहचान स्थापित कर रहा है। अब प्रदेशवासियों को विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए अलग-अलग प्लेटफार्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही मंच पर सभी सुविधाएँ सहज, त्वरित और पारदर्शी रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल से सेवा वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और सुव्यवस्थित बनी है। साथ ही नागरिकों के समय एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित हुई है।

डॉ. यादव ने कहा कि यह एकीकृत नागरिक सेवा मंच 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही डिजिटल विंडो पर उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2026 तक 100 प्रतिशत ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के सेंटर फॉर एक्सीलेंस द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म नागरिकों, विभागों एवं सेवाओं को एकीकृत डिजिटल इको-सिस्टम में जोड़ते हुए सुशासन को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

एकीकृत पोर्टल पर सभी सेवाएँ : प्रक्रिया हुई सरल

एमपी ई-सेवा पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 1700 सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों को बार-बार अलग-अलग पोर्टल पर जाने और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता समाप्त की गई है। नागरिक अब पद और मोबाइल ऐप के माध्यम से पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अनुमोदन जैसी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल प्रमाणपत्र की व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस बनाई गई है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है।

समग्र पोर्टल से एकीकरण ऑटो-वेरिफिकेशन की सुविधा

'एमपी ई-सेवा' को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। प्रत्येक परिवार को 8 अंकीय परिवार आईडी और हर सदस्य को 9 अंकीय सदस्य आईडी दी गई है। इससे ऑटो-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को सक्षम बनाया गया है। इससे पात्रता निर्धारण स्वत: हो जाता है और अनावश्यक देरी व दोहराव समाप्त होता है। पोर्टल की प्रमुख विशेषता 'ऑटो-फेचिंग डॉक्युमेंट्स' है, जिससे नागरिकों को बार-बार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहती।एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज आगे की सेवाओं में स्वत: उपलब्ध हो जाते हैं।

सुगम, सुरक्षित एवं नागरिक केंद्रित 'ऐप-डिजाइन'

एमपी ई-सेवा पोर्टल को मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है। इसमें बहुभाषीय सुविधा के साथ दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष डिजाइन किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिक आसानी से इसका उपयोग कर सकें। प्लेटफार्म पर अब तक 2 लाख 14 हजार से अधिक ट्रांसेक्शन दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 3 हजार 446 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 1 लाख 64 हजार 600 से अधिक ट्रैक/डाउनलोड गतिविधियाँ और 45 हजार 954 समग्र पात्रता जांचें की गई हैं।

डिजिटल गवर्नेंस में प्रदेश की सशक्त उपस्थिति

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) 2025 रिपोर्ट में मध्यप्रदेश ने 1752 ई-सेवाओं को मैप कर सभी 56 अनिवार्य विभागीय सेवाओं को 100 प्रतिशत एकीकृत करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया।प्रदेश को 'सायबर तहसील' के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार तथा 'संपदा 2.0' के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जो डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को दर्शाते हैं।

बिना नंबर के 41 वाहनों के चालान काटे, 20500 का वसूला जुर्माना

श्योपुर, 18 अप्रैल। सुधीर कुमार अग्रवाल पुलिस अधीक्षक श्योपुर के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा दुर्घटना उपरांत वाहनों की त्वरित पतारसी एवं वाहन चोरी पर अंकुश लगाने हेतु जिले में बिना नंबर के वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने एवं उन पर रजिस्ट्रेशन नंबर मौके पर ही अंकित करवाये जाने के संबंध में विशेषअभियान चलाए जाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को प्रदाय किए गए हैं।

इसी तारतम्य में आज यातायात थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत के द्वारा हमराही देवेंद्र जादौन, एन.के. झा, एवम् यातायात बल के साथ देहात थाने के सामने एवं बड़ौदा रोड पर बिना नंबर के ट्रैक्टर, डंपर, कार मोटर साइकिल आदि की चेकिंग की गई, तथा बिना नंबर के संचालित वाहनों पर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करवाए गए। बिना नंबर अंकित किए वाहनों का चालन करने वाले चालकों के '41 चालान बनाए जाकर 20500 का समन जुर्माना किया गया एवं सभी चालकों को एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने की हिदायत दी।

यातायात पुलिस की जिले के समस्त वाहन चालकों से अपील है कि वह अपने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक रूप से अंकित करवाए। इसके लिए एचएसआरपी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें। जिससे आप वाहन चेकिंग के दौरान अनावश्यक परेशानी तथा चालानी कार्रवाई से बच सके। व सड़क दुर्घटना अथवा अपराध होने की स्थिति में वाहनों की तुरंत पतारसी की जा सके।

सीईओ जिला पंचायत ने स्वयं भरा ऑनलाइन स्व-गणना फार्म

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 18 अप्रैल। जनगणना सेल्फइन्यूमरेशन प्रक्रिया के तहत सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने स्वयं ऑनलाइन स्व-गणना फार्म भरकर नागरिकों को प्रेरित किया।

सीईओ जिला पंचायत एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती सौम्या आनंद ने कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं की आधारशिला है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे जनगणना पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करें और इस प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने

नागरिकों से जनगणना के कार्य में सहयोग की अपील

में सहयोग दें।

उन्होंने ने बताया कि सेल्फ इन्यूमरेशन से समय की बचत होगी और जब टीम घर-घर पहुंचेगी, तब प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि पद पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। नागरिकों के लिये पोर्टल पर स्व-गणना का कार्य 16 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है, जो 30 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा।

स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और इसे हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, ताकि हर वर्ग के लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। इसमें 5 से 10 मिनट में स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठायें और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।

नेशनल लोक अदालत के लिए विद्युत अधिकारियों की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 18 अप्रैल। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार 09 मई. 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल मेहता के मार्गदर्शन में विद्युत विभाग के अधिकारीगण व संबंधित अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में किया गया।

उक्त बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारीगण व संबंधित अधिवक्तागण को नेशनल लोक अदालत में विद्युत के द्वारा प्रदाय छूट के संबंध में आमजन को जागरूक किये जाने एवं उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल कियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया।

इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महाप्रबंधक, मप्रम.क्षे.वि.वि.क.लि. श्योपुर, एसडीओपी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, विद्युत विभाग के अन्य अधिकारीगण व संबंधित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

गेहूं उपार्जन अंतर्गत जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित

श्योपुर, 18 अप्रैल। कलेक्टर द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं खरीदी के सुचारू संचालन एवं प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 9131000027 पर प्राप्त होने वाली तकनीकी एवं अन्य समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जायेगा। कन्ट्रोल रूम में जिला सूचना अधिकारी शुभम नवानी एनआईसी, सहायक सूचना अधिकारी महेश कुशवाह एनआईसी, सहायक आपूर्ति अधिकारी सुनीलदत्त शर्मा फूड विभाग, सहायक ग्रेड-3 हर्ष मित्तल फूड विभाग, कनिष्ठ सहायक चन्द्रप्रकाश शर्मा नागरिक आपूर्ति निगम को नियुक्त किया गया है।

बाल विवाह पर रैली एवं व्याख्यान आयोजित

श्योपुर, 18 अप्रैल। कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता हेतु चलाये जा रहे अभियान अंतर्गत शनिवार को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफएक्सीलेंस शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर में बाल विवाह निषेध पर व्याख्यान व रैली का आयोजन किया गया। जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। डॉ. संगीता द्वारा बताया गया कि बाल विवाह रोकने हेतु सिर्फअधिनियम ही काफी नहीं है, उसके लिए लोगों में सामाजिक जागरूकता फैलाना अति आवश्यक है। डॉ. सीमा चौकसे ने बताया कि बाल विवाह एक अभिशाप है, बालक बालिकाओं के संपूर्ण विकास के पश्चात ही विवाह करना चाहिए। प्राचार्य डॉ ओपी शर्मा ने बालविवाह रोकने हेतु शपथ दिलाई एवं सभी को इसके विरुद्ध समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रो. डॉ विपिन बिहारी शर्मा, डॉ. संगीता शाक्य, डॉ. उर्मिला बाथम, डॉ. भूपेंद्र हरदेनिया, डॉ. अलंकृता साकेत, प्रो. अजीत सिंह व महाविद्यालय परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सम्राट विक्रमादित्य ज्ञान पर प्रतियोगिता आयोजित

श्योपुर, 18 अप्रैल। कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर में सम्राट विक्रमादित्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नंदिनी जाट ने प्रथम स्थान, सत्यवीर बैरवा एवं शिवानी बाल्मीकि ने द्वितीय स्थान तथा पवनसुत योगी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओपी शर्मा ने बताया सम्राट विक्रमादित्य केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि वे न्याय, पराक्रम और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी डॉ. भूपेंद्र हरदेनिया ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सम्राट विक्रमादित्य साहस और वीरता के प्रतीक थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त कर भारत की सीमाओं की रक्षा की। महाविद्यालय स्तर पर इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा अत्यंत उत्साह एवं सक्रियता के साथ बढ़-चढ़कर सहभागिता की गई।

गर्मी एवं लू से होने वाले दुष्प्रभावों एवं बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 18 अप्रैल। कलेक्टर के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए गर्म हवाओं (लू) के प्रभाव से बचाव हेतु आमजन के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी का उद्देश्य नागरिकों को गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, उनके लक्षणों की पहचान तथा समय पर उपचार के प्रति जागरूक करना है, ताकि संभावित रोगों के जोखिम को कम किया जा सके।

गर्मी से होने वाले प्रमुख दुष्प्रभाव

अत्यधिक गर्मी के कारण सूर्य दाह (सनबर्न), हीट क्रैम्प (शारीरिक ऐंठन), हीट एक्सॉशन (अत्यधिक थकावट एवं कमजोरी) तथा हीट स्ट्रोक (तापघात) जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

लू (तापघात) के प्रमुख लक्षण

लू के लक्षणों में त्वचा पर लाल चकत्ते, सूजन या फफोले, तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, अत्यधिक पसीना या कुछ मामलों में पसीना न आना, कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी, त्वचा का अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होना, नब्ज का तेज या कमजोर होना तथा बेहोशी जैसी स्थिति शामिल हैं। इन लक्षणों की समय पर पहचान अत्यंत आवश्यक है।

लू से बचाव के उपाय

लू से बचाव हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, ओआरएस घोल, लस्सी, नींबू पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें और यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो सिर को ढककर रखें तथा छाता या टोपी का उपयोग करें। हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्र पहनें और सिंथेटिक एवं गहरे रंग के कपड़ों से परहेज करें। घर से निकलने से पहले तरल पदार्थ का सेवन करें और पानी साथ रखें। अत्यधिक गर्मी की स्थिति में ठंडे पानी से स्नान करें या शरीर को ठंडे पानी से पोंछें, लेकिन धूप से आने के तुरंत बाद स्नान न करें। इसके साथ ही भारी, तैलीय एवं अधिक प्रोटीन युक्त भोजन तथा अल्कोहल, चाय और कॉफी के सेवन से बचें। पशुओं को भी छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराएं।

लू लगने पर प्राथमिक उपचार

यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसे तुरंत छायादार एवं ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए तथा शरीर को ठंडे एवं गीले कपड़े से पोंछना (स्पंजिंग) चाहिए। यदि व्यक्ति होश में हो तो उसे ठंडा पानी, छाछ या पना पिलाया जा सकता है, लेकिन उल्टी की स्थिति में पेय पदार्थ देना बंद कर देना चाहिए। शरीर में ऐंठन होने पर प्रभावित भाग को हल्के से दबाकर सहलाना चाहिए तथा फफोले होने पर स्वच्छ ड्रेसिंग करनी चाहिए। गंभीर स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल ले जाना आवश्यक है तथा 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल करना चाहिए। एम्बुलेंस आने तक रोगी को ठंडे स्थान पर आरामदायक स्थिति में लिटाकर रखना चाहिए। बेहोशी की स्थिति में किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ न दें तथा आवश्यकता होने पर सीपीआर प्रारंभ करें।

स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे जारी एडवाइजरी का पालन कर स्वयं एवं अपने परिवार को गर्मी के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखें।

विद्यालयों के समय में परिवर्तन

श्योपुर, 18 अप्रैल। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के अनुमोदन उपरांत श्योपुर जिले में विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन ने बताया कि जिले में अत्यधिक गर्मी एवं बढते तापमान को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के चलते जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई, आईसीएसी विद्यालयों का समय प्रात: 7.30 बजे से दोपहर 01 बजे तक नियत किया गया है।

कृषि विभाग ने की किसानों से नरवाई न जलाने की अपील

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 18 अप्रैल। जिले में गेहूं फसल की कटाई लगभग पूर्ण हो गई है, कृषि विभाग ने किसान भाईयों से अपील की हे की नरवाई में आग न लगाए बल्कि उसका प्रबंधन कर अतिरिक्त आय प्राप्त करें।

उप संचालक कृषि जीके पचौरिया ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से एक टन गेहूं के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फेरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम, 1.2 किलोग्राम सल्फर, गेहूं द्वारा अवशोषित 50-70 प्रतिशत सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन होता है, जो जलाने से नष्ट हो जाता है। मिट्टी का तापमान 150 से 170 सेंटीग्रेड तक बढ जाता है। इसके अलावा मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म एवं लाभदायक जीवाणु जलकर नष्ट हो जाते है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है एवं फसलों के लिए मिट्टी में आवश्ययक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है एवं मिट्टी धीर-धीरे बंजर हो जाती हे जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग करने पर भी फसलों का उत्पादन नही लिया जा सकता है। पोषक तत्वों के नुकसान के अलावा, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फेरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी नरवाई को जलाने से प्रभावित होते है। अनुमान है कि एक टन गेहूं की नरवाई जलाने से 11 किलोग्राम च्तंजपबनसंजम डंजजमत (कणिका तत्व) (पी.एम.), 58 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1400 किलोग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख और 1.2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, उत्सर्जित होती है। ये गैसें वायु की गुणवत्ता में गिरावट लाती है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, जैसे नेत्र और त्वचा रोगों में वृद्धि, सूक्ष्म कण दीर्घकालिक हृदय और फेफड़ों के रोगो को बढाने के कारक है।

फसल अवशेषों का प्रबंधन करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना, फसल की उत्पादकता बढाना, उत्पादन लागत कम कर कृषकों की आय को बढ़ाना, फसल अवशेषों का समुचित सही उपयोग कर कृषकों की अतिरिक्त आय के विकल्प उपलब्ध कराना, फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को कम कर वायु प्रदूषण कम करना।

उन्होंने किसान भाईयों से अपील की है कि गेहूं की नरवाई में आग नही लगाये, बल्कि स्ट्रॉ रीपर से भूसा बनाकर 2000 रूपये प्रति ट्रॉली की आय प्राप्त कर सकते है। इस भूसे को गौशालाओं एवं पशुपालकों को विक्रय कर सकते हैं। जिन किसान भाईयों द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग एवं अन्य फसलें लगाई जा रही है, वह सुपर सीडर एवं अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई कर सकते हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा। 02 एकड़ या उससे कम भूमि धारक 2500 रूपये प्रति घटना। 02 एकड़ से अधिक लेकिन 05 एकड़ से कम भूमि धारक 5000 रूपये प्रति घटना। 05 एकड़ से अधिक भूमि धारक 15000 रूपये प्रति घटना होगा।

विद्यालय बंद मिलने पर कारण बताओ नोटिस

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 18 अप्रैल। प्राथमिक विद्यालय महुमार के बंद पाए जाने का मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन ने शिक्षकों को नोटिस जारी किये है।

डीईओ यश जैन ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से 17 अप्रैल 2026 को शासकीय प्राथमिक विद्यालय महुआमार के बंद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही विद्यालय का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित विद्यालय का स्टाफविद्यालय समय में अनुपस्थित थे, जिसके कारण विद्यालय बंद पाया गया।

इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए प्रधानाध्यापक हरिविलास बंजारा एवं शिक्षिका श्रीमती गायत्री कुरील को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि वे अपना स्पष्टीकरण 02 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उनके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को सहन नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जल गंगा संवर्धन अभियान एवं संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा

श्योपुर, 18 अप्रैल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान एवं संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कमिश्नर्स, जिले के कलेक्टर्स के साथ संवाद स्थापित कर अभियानों के प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपार्जन कार्य, पेयजल, सीएम हेल्पलाईन, ग्रीष्मकाल में होने वाली बीमारियों से बचाव एवं आवश्यक व्यवस्थाएं, बाल विवाह रोकथाम, स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा कर निर्देश दिए।

इस दौरान एनआईसी कक्ष श्योपुर में कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा, डीएफओ सामान्य केएस रंधा, कूनो आर थिरूकुराल, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, कराहल बीएस श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जन्मदिन पर कट्टे से हवाई फायर कर वीडियो डालना पड़ा भारी, आरोपी जेल भेजा

ग्वालियर 18 अप्रैल। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन और रील बनाकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। थाना पिछोर पुलिस ने एक ऐसे ही मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए उस युवक को गिरफ्तार किया है, जिसका जन्मदिन पर हवाई फायर करते हुए वीडियो वायरल हुआ था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो : हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ था, जिसमें एक युवक केक काटते समय देशी कट्टे से हवाई फायर करता नजर आ रहा था। मामला ग्वालियर पुलिस के संज्ञान में आते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने इसकी जांच के आदेश दिए। तकनीकी जांच में पता चला कि यह वीडियो थाना पिछोर के ग्राम चिरूली का है। थाना प्रभारी पिछोर उनि. शिवम राजावत ने आरोपी की तलाश शुरू की। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ताल की पार बेरिया रोड पर घेराबंदी कर आरोपी जाहिद खान 20 वर्ष, निवासी ग्राम चिरूली को धर दबोचा।

हथियार और जिंदा कारतूस बरामद : पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली, तो उसकी जेब से 315 बोर का एक देशी कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त के जन्मदिन के जश्न के दौरान टशन दिखाने के लिए यह हवाई फायर किया था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ग्वालियर पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने या शस्त्रों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर दंडात्मक कार्यवाही जारी रहेगी।

उत्तर मध्य रेलवे

L.No. JHS-ELG-W-T-03-2026-27 Date : 13.04.2026

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से वरि. मंडल विद्युत अभियन्ता (सामान्य), उत्तर मध्य रेल, झाँसी द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये ऑनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं : झाँसी-ईएलजी-डब्ल्यू-टी-03-2026-27	निविदा राशि : रू. 70,42,266/- मात्र
कार्य का विवरण : विद्युत/जी कार्य : ग्वालियर में न्यू ताज पिटलाइन पर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन ।	
बयाना राशि : रू. 1,40,900/- मात्र	कार्य समापन अवधि : 06 माह
निविदा बंद होने की तिथि : 05.05.2026 (15:00 बजे तक)	

निविदाकार निविदा **दिनांक 05.05.2026 को 15:00 बजे** तक आनलाईन जमा कर सकेगें। पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के बेवसाईट **http://www.ireps.gov.in** पर देखें। 842/26 (C)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR